"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 27, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(8). —— छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017 का निम्नलिखित प्रारुप जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), (झ) एवं (ञ) सहपठित धारा 24, 27, 28 एवं 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 40 उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा :

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कलावधि के पूर्व, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, सी-ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

नियम प्रारूप
अध्याय-एक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017 कहलायेंगे ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20);

   (ख) "केन्द्र शासन" से अभिप्रेत है, भारत सरकार ;

(ग) **''संचालक''** से अभिप्रेत है संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़;

(घ) **''जिला शिकायत निवारण अधिकारी''** से अभिप्रेत है जिला स्तर पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु नियुक्त अधिकारी;

(ङ) **''सामाजिक संपरीक्षा''** से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया, जिसमें नागरिक सामूहिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और उसका मूल्यांकन करते हैं;

(च) **''राज्य अधिनियम''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013);

(छ) **''राज्य खाद्य आयोग''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग;

(ज) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) **''सतर्कता समिति''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) एवं राज्य अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिये क्रमशः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 29 एवं राज्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित समिति।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20), छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013), आवश्यंक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो
निगरानी एवं पर्यवेक्षण

3. **सतर्कता समिति का गठन, बैठक, कर्तव्य एवं दायित्व.–** (1) केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम एवं भारत सरकार द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 एवं राज्य शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के उपबंधों के कियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी के लिये राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति स्थापित की जायेगी।

(2) निम्नलिखित सतर्कता समितियों का गठन किया जायेगा, अर्थात्:–

एक. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति:–

(क) समिति का गठन:–

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

सदस्य : (एक) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(दो) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग;

(तीन) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग;

(चार) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग;

(पांच) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग;

(छः) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग;

(सात) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम;

(आठ) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन;

(नौ) राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी;

(दस) राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल कंपनी;

(ग्यारह) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त व्यक्ति (प्रत्येक प्रवर्ग से एक सदस्य), जिसे खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, से राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य।

सदस्य–सचिव : संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।

(ख) **बैठक कार्यक्रमः–** राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य सचिव अर्थात् संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक, वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित हो।

(ग) **कर्त्तव्य एवं दायित्वः–** राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे,–

(क) राज्य में, केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं के कियान्वयन की निगरानी,

(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के सुझावों की समीक्षा एवं उसका निराकरण।

दो. जिला स्तरीय सतर्कता समितिः–

(क) समिति का गठनः–

अध्यक्ष – जिले के प्रभारी मंत्री

सदस्य – (एक) अध्यक्ष, जिला पंचायत;

(दो) जिला पंचायत के चार सदस्य, जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य तथा दो महिला सदस्य (जिला पंचायत के सामान्य निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित), शामिल होंगे;

(तीन) खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी;

(चार) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग;

(पांच) सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग;

(छः) जिला शिक्षा अधिकारी;

(सात) उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं;

(आठ) ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि;

(नौ) जिला प्रबंधक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम; एवं

(दस) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त व्यक्ति (प्रत्येक प्रवर्ग से एक सदस्य), जिसे खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, से राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य।

सदस्य–सचिव – कलेक्टर या उसके द्वारा यथा प्राधिकृत अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, जिन्हें जिला शिकायत निवारण अधिकारी का दायित्व न दिया गया हो।

(ख) **बैठक कार्यक्रम.**– जिला स्तरीय सतर्कता समिति का सदस्य–सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित हो तथा बैठक की कार्यवाही विवरण, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को उपलब्ध कराया गया है।

(ग) **कर्त्तव्य एवं दायित्व.**– जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(एक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन की समीक्षा;

(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्रियों के भंडारण एवं उसके हितग्राहियों को वितरण की समीक्षा;

(तीन) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं जिले में केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को प्रस्तुत करना;

(चार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना;

(पांच) अधीनस्थ सतर्कता समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं निराकरण करना तथा उसके निराकरण के संबंध में सुझाव तथा आवश्यक सुझाव, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को प्रस्तुत करना;

(छः) अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन के संबंध में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना;

(सात) अधिनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

(आठ) उसके द्वारा पाये गये अनाचार या निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

तीन. विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समितिः–

(क) समिति का गठनः–

अध्यक्ष – जनपद पंचायत का अध्यक्ष।

सदस्य – (एक) जनपद पंचायत का चार सदस्य जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य तथा दो महिला सदस्य, (संबंधित जनपद पंचायत के सामान्य निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित) शामिल होंगे;

(दो) सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षक;

(तीन) परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग;

(चार) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी;

(पांच) सहकारिता निरीक्षक;

(छः) प्रदाय केन्द्र प्रभारी, नागरिक आपूर्ति निगम और

(सात) चार राशनकार्डधारी, जिसमें अन्त्योदय श्रेणी से एक तथा निराश्रित या निःशक्तजन हरा राशनकार्डधारी से एक (जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिये नामांकित),

शामिल होंगे।

सदस्य सचिव – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

(ख) **बैठक कार्यक्रम.–** विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का सदस्य सचिव अर्थात् जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित हो तथा बैठक की कार्यवाही विवरण, जिला स्तरीय सतर्कता समिति को उपलब्ध कराया गया है।

(ग) **कर्त्तव्य एवं दायित्वः–** विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(एक) विकासखण्ड स्तर में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी;

(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्रियों के भंडारण एवं उसके हितग्राहियों को वितरण की समीक्षा;

(तीन) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विकासखण्ड स्तर में, केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय सतर्कता समिति को सुझाव प्रस्तुत करना;

(चार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना तथा केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना;

(पांच) अधीनस्थ सतर्कता समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं उसका निवारण करना तथा आवश्यक सुझाव जिला स्तरीय निगरानी समिति को प्रस्तुत करना;

(छः) अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता लाने हेतु आवश्यक उपाय करना;

(सात) उसके द्वारा पाये गये अनाचार या निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

चार. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितिः—

(क) समिति का गठनः—

ग्रामीण क्षेत्र में:—

अध्यक्ष — सरपंच, ग्राम पंचायत

सदस्य — (एक) ग्राम पंचायत का चार सदस्य जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य तथा दो महिला सदस्य, (ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित) शामिल होंगे;

(दो) जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित एक सदस्य जो शासकीय कर्मचारी होगा; और

(तीन) चार राशनकार्डधारी, जिसमें अन्त्योदय श्रेणी से एक तथा निराश्रित या निःशक्तजन हरा राशनकार्डधारी से एक (ग्राम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिये नामांकित), शामिल होंगे।

सदस्य सचिव — सचिव, ग्राम पंचायत।

शहरी क्षेत्र में:—

अध्यक्ष – संबंधित वार्ड का पार्षद।

सदस्य – (एक) चार राशनकार्डधारी, जिसमें अन्त्योदय श्रेणी से एक तथा निराश्रित या निःशक्तजन हरा राशनकार्डधारी से एक (नगरपालिक निगम द्वारा दो वर्ष के लिये नामांकित), शामिल होंगे;

(दो) एक सदस्य जो शासकीय कर्मचारी होगा; और

(तीन) संबंधित क्षेत्र का खाद्य निरीक्षक।

सदस्य सचिव – नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी।

(ख) **बैठक कार्यक्रम.**– उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक, माह में एक बार आयोजित हो तथा मासिक बैठक की कार्यवाही विवरण, विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को उपलब्ध कराया गया है।

(ग) **कर्त्तव्य एवं दायित्व.**– उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे –

(एक) ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित उचित मूल्य दुकान के क्रियाकलापों एवं दायित्वों की समीक्षा;

(दो) उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण की समीक्षा जैसा कि संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा नियत किया जाये;

(तीन) उचित मूल्य दुकान में भंडारण के समय खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन;

(चार) जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुसार चावल उत्सव का आयोजन;

(पांच) उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न की मासिक आवक की मुनादी;

(छः) जहां उचित मूल्य दुकान का भवन उपलब्ध नहीं है वहां भूमि का चिन्हांकन एवं भवन के निर्माण हेतु सुझाव देना;

(सात) बोर्ड पर उचित मूल्य दुकान का नाम, स्टॉक बोर्ड, राशनकार्ड सूची, सतर्कता समिति के सदस्यों के नामों की सूची प्रदर्शित कराना;

(आठ) उचित मूल्य दुकान में विहित पंजियों का संधारण करना;

(नौ) उचित मूल्य दुकान में वितरण किये जा रहे खाद्यान्न के नमूने का प्रदर्शन सुनिश्चित करना;

(दस) उचित मूल्य दुकान में प्राप्त खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करना;

(ग्यारह) प्रतिमाह उचित मूल्य दुकानदार से समय पर घोषणा पत्र एवं राशि/डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करना;

(बारह) समिति के सदस्यों एवं ग्राम/वार्ड के अधिक से अधिक हितग्राहियों का विभागीय वेबसाईट में पंजीयन कराना, जिससे उनको उचित मूल्य दुकान हेतु आबंटित खाद्यान्न के भंडारण की जानकारी, एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सके;

(तेरह) उचित मूल्य दुकान के संचालन के संबंध में विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को सुझाव उपलब्ध कराना;

(चौदह) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश एवं केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना तथा केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना; और

(पन्द्रह) समिति द्वारा पाये गये अनाचार या निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

अध्याय–तीन

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

4. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण.–** (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे कि,–

(एक) केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों की प्रति;

(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियान्वयन संबंधी जानकारी;

(तीन) राशनकार्ड जारी करने संबंधी;

(चार) उचित मूल्य दुकानों की जिलेवार एवं एजेंसीवार जानकारी;

(पांच) जिलेवार, विकासखण्डवार, ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार राशनकार्ड की सूचना;

(छः) राशन सामग्रियों के आबंटन, भण्डारण एवं वितरण की मासिक सूचना; तथा

(सात) खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिये आंगन बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित मध्यान्ह भोजन संबंधी योजना एवं योजनाओं के संबंध में सुसंगत अभिलेख,

को पब्लिक डोमेन में रखा जायेगा। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के प्रावधानों के अधीन इन दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकेगा और प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2) पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अनुरक्षण के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां किया जाना आवश्यक है, अर्थात्:—

(क) **जनभागीदारी वेबसाईट**— केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण जानकारियां, "जनभागीदारी" वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। वेबसाईट में आम नागरिकों के द्वारा शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने का तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्रियों के भण्डारण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाईल नंबर पंजीयन करने का भी प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त, वेबसाईट में विभाग की निम्नलिखित जानकारियां प्रदर्शित की जायेगी, अर्थात्:—

(एक) जिलेवार, विकासखण्डवार/नगरपालिकावार एवं पंचायतवार उचित मूल्य दुकानों की जानकारी।

(दो) जिलेवार, विकासखण्डवार/नगरपालिकावार एवं पंचायतवार राशनकार्डो की जानकारी।

(तीन) जिलेवार, उचित मूल्य दुकानवार मासिक आबंटन की जानकारी।

(चार) उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की विस्तृत जानकारी।

(पांच) विभाग के नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी।

(छः) विभाग की अन्य जानकारी जो संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ख) चावल उत्सव—

(एक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केंन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत राशन सामग्रियों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु, उचित मूल्य दुकानों में प्रति माह चावल उत्सव का आयोजन किया जायेगा।

(दो) ऐसे गांव जहां उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां हाट बाजार लगता है, वहां प्रत्येक माह की प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जायेगा एवं शेष उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जायेगा।

(तीन) चावल उत्सव हेतु जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(चार) चावल उत्सव के दौरान राशन सामग्री के मासिक कोटे का वितरण, सतर्कता समिति के सदस्यों एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में हितग्राहियों को किया जायेगा।

(ग) **सामाजिक संपरीक्षाः—** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय अधिनियम तथा राज्य अधिनियम के कियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु, राज्य शासन, जनसामान्य के अवलोकन के लिये समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगा। सामाजिक संपरीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, अर्थात्:—

(एक) उचित मूल्य दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्रियों के आबंटन, भण्डारण एवं वितरण से संबंधित समस्त अभिलेख, ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को रखा जायेगा। मध्यान्ह भोजन योजना एवं पंचायत या वार्ड क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केन्द्रों से संबंधित अभिलेख, सामाजिक संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में, नियम 4 के खण्ड (ग) के उप—खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट ग्राम सभाओं के मध्यकालीन अवधि के दस्तावेज उचित मूल्य दुकान के स्वामी एवं संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा सामाजिक संपरीक्षा हेतु ग्राम सभा में रखा जायेगा।

(तीन) ग्राम सभा में दस्तावेजों के संपरीक्षा के उपरांत, अनुशंसा सहित सूचना, विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को प्रस्तुत की जायेगी। विकासखण्ड

स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा परीक्षण उपरांत, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा को जिला स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित की जायेगी।

(चार) नगरीय क्षेत्रों में, स्थानीय नगरीय निकाय, नियत तिथि पर वार्ड के निवासियों की बैठक आयोजित करेगा तथा सामाजिक संपरीक्षा करेगा। वार्ड स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा हेतु छः माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित करेगा।

(पांच) नगरीय क्षेत्रों में, सामाजिक संपरीक्षा हेतु अंतिम छः माह का दस्तावेज, उचित मूल्य दुकान के स्वामी एवं संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(छः) नगरीय क्षेत्रों में, वार्ड सभा की बैठक में दस्तावेजों के संपरीक्षा के पश्चात्, अनुशंसा सहित सूचना, विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति को प्रस्तुत की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा परीक्षण उपरांत, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा को जिला स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित की जायेगी।

(सात) उचित मूल्य दुकानों के सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट संकलित करने के पश्चात्, जिला कलेक्टर, संपरीक्षा से उद्भूत मुद्दों के लिये, समुचित कार्यवाही करेगा। सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही, संचालनालय एवं राज्य शासन को प्रेषित की जायेगी।

5. **छूट.–** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए, राज्य शासन, केन्द्र सरकार द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 से संगत रखते हुए, इस नियम के समस्त या किन्हीं भी प्रावधानों से छूट दे सकेगा तथा उसे किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकेगा।

6. **इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.–** इस नियम के अन्तर्गत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

8. **निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्ति** – इस नियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नवाचार के क्रियान्वयन के लिये, राज्य शासन अथवा संचालक, समय–समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश जारी कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(8). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th July 2017

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29-1 (8). — The following draft of the Chhattisgarh Public Distribution System (Transparency and Accountability) Rules, 2017, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (h), (i) and (j) of sub-section (2) of Section 40 read with Sections 24, 27, 28 and 29 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 40 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette :

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours in the office of Director, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, C-Block, Block 2 Third Floor, Indrawati Bhawan, Naya Raipur Shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

//DRAFT RULES//

CHAPTER-I

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Public Distribution System (Transparency and Accountability) Rules, 2017.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Central Act**" means the National Food Security Act, 2013 (No.20 of 2013);

(b) "**Central Government**" means the Government of India;

(c) "**Director**" means the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Chhattisgarh;

(d) "**District Complaint Redressal Officer**" means the officer appointed at district level for redressal of the complaints related to the provisions under the Public Distribution System, the Central Act and the State Act;

(e) "**Social audit**" means a process in which the citizens in a group supervise the implementation of the schemes under Public Distribution System and evaluates the same;

(f) "**State Act**" means the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013);

(g) "**State Food Commission**" means Chhattisgarh State Food Commission formed by the State Government for implementation of provisions of Section 16 of the Central Act;

(h) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(i) "**Vigilance Committee**" means the committee constituted under Section 29 of the Central Act and Section 24 of the State Act to discharge the functions specified in sub-section (2) of Section 29 of the Central Act and sub-section (2) of Section 24 of the State Act, respectively.

(2) Words and expression used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013),

the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the Essential Commodities Act, 1955 (No.10 of 1955) and the Rules made thereunder.

CHAPTER-II
MONITORING AND SUPERVISION

3. Constitution of Vigilance Committee, meetings, duties and responsibilities.- (1) Vigilance Committees shall be established at State, District, Block and Fair Price Shop level to review the implementation and monitoring of the provisions of the Central Act, the State Act and Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 issued by the Central Government and Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016 issued by the State Government.

(2) Following Vigilance Committees shall be formed, namely:-

I. State Level Vigilance Committee:-

(A) Formation of committee:-

President: Hon'ble Minister, Government of Chhattisgarh, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

Members: (i) Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection;

(ii) Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat and Rural Development;

(iii) Secretary, Government of Chhattisgarh, Cooperative Department;

(iv) Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Women and Child Development;

(v) Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development;

(vi) Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of School Education;

(vii)Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation;

(viii) Managing Director, Chhattisgarh State Warehousing Corporation;

(ix) State Information Officer, NIC;

(x) State Level Coordinator of Oil Companies; and

(xi) Members nominated by the State Government from Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Women, Persons with disability (one member from each category), who have experience of working in the field of food security.

Member-Secretary:- Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

(B) Meeting Schedule:- Member Secretary of the State Level Vigilance Committee i.e. Director shall ensure that the meeting is convened at least twice in a year.

(C) Duties and Responsibilities:- Duties and responsibilities of the State Level Vigilance Committee shall be as follows,-

(a) monitoring the implementation of all the schemes under the Central Act and the State Act in the State.

(b) to review suggestions and disposal of complaints of District Level Vigilance Committee.

II. District Level Vigilance Committee:-

(A) Formation of the Committee:-

President- Minister in-charge of the District.

Members- (i) President of Zila Panchayat;

(ii) Four members of Zila panchayat, which includes one member from Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two Women members (duly approved by the General Body of Zila Panchayat);

(iii) Food Controller/Food Officer;

(iv) District Programme Officer, Women and Child Development Department;

(v) Assistant Commissioner, Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department;

(vi) District Education Officer;

(vii) Deputy/Assistant Registrar, Cooperative Societies;

(viii) Representative of Oil Companies;

(ix) District Manager, Food, Civil Supplies Corporation; and

(x) Members nominated by the State Government from Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Women, Persons with disability (one member from each category), who have experience of working in the field of food security.

Member-Secretary- Collector or Additional Collector/Joint Collector as authorized by Collector himself, who does not have the responsibilities of District Complaint Redressal Officer.

(B) **Meeting Schedule**:- Member-Secretary of the District Level Vigilance Committee shall ensure, that the meeting is convened at least once in every quarter and minutes of the meeting is made available to the State Level Vigilance Committee.

(C) **Duties and Responsibilities:-** Duties and responsibilities of the District Level Vigilance Committee shall be as follows,-

(i) to review the implementation of the provisions of the Central Act and the State Act with respect to Public Distribution System;

(ii) to review the storage of ration commodities under Public Distribution System and its distribution to the beneficiaries;

(iii) to strengthen the Public Distribution System and submit suggestions to the State Level Vigilance Committee regarding implementation of the Central Act and the State Act in the district;

(iv) to ensure compliance of the provisions of the Public Distribution System Control Order;

(v) to examine and redress the proposals received from sub-ordinate Vigilance Committees and to suggests its redressal and submit necessary suggestions to the State Level Vigilance Committee;

(vi) to take necessary action to generate awareness among consumers regarding implementation of the provisions of the Acts;

(vii) to inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of violation of any provisions of the Acts; and

(viii) to inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractices or misappropriation of funds found by it.

III. Block Level Vigilance Committee:-

(A) Formation of the committee:-

President- Chairperson of Janpad Panchayat.

Members-(i) Four members of Janpad Panchayat, which includes one member from Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two women members (duly approved by the General Body of the concerned Janpad Panchayat);

(ii) Assistant Food Officer/Food Inspector;

(iii) Project Officer, Department of Women and Child Development;

(iv) Block Education Officer;

(v) Cooperative Inspector;

(vi) In-charge of Supply Centre, Civil Supplies Corporation; and

(vii) Four Ration cardholder, which includes one from Antyodaya category and one from destitute or disabled green ration card holder (nominated by the President of Janpad Panchayat for two years).

Member Secretary- Chief Executive Officer of Janpad Panchayat.

(B) Meeting Schedule :- Member Secretary of the Block Level Vigilance Committee i.e. Chief Executive Officer of Janpad Panchayat shall ensure, that the meeting is convened at least once in every quarter and minutes of the meeting is made available to the District Level Vigilance Committee.

(C) Duties and responsibilities:- Duties and responsibilities of the Block Level Vigilance Committee shall be as follows,-

(i) to monitor the implementation of the provisions of Public Distribution System, the Central Act and the State Act at the block level;

(ii) to review the storage of ration commodities of Public Distribution System and its distribution to the beneficiaries;

(iii) to submit suggestions to the District Level Vigilance Committee regarding strengthening of Public Distribution System and implementation of the provisions of the Central Act and the State Act at block levels;

(iv) to ensure compliance of the provisions of Public Distribution System Control Order and to inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any violation of the provisions of the Central Act and the State Act;

(v) to examine and redress the proposals received from sub-ordinate Vigilance Committees and

to submit necessary suggestions to the District Level Vigilance Committee;

(vi) to take necessary steps to generate awareness among consumers regarding the provisions of the Acts and its implementation; and

(vii) to inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractices or misappropriation of funds found by it.

IV. Fair Price Shop Level Vigilance Committee:-

(A) Formation of the committee:-

(i) In rural areas:-

President- Sarpanch, Gram Panchayat.

Members- (i) Four members of Gram Panchayat, which includes one member from Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two women members. (duly approved in the meeting of Gram Panchayat);

(ii) One member, who shall be a Government employee as nominated by the Collector; and

(iii) Four Ration cardholders which includes one from Antyodaya category and one destitute or disabled green ration card holder (nominated by Gram Sabha for 2 years).

Member Secretary- Secretary, Gram Panchayat.

(ii) In urban areas:-

President- Councilor of respective ward.

Members- (i) Four Ration cardholder which includes one from Antyodaya and one destitute or disabled green ration card holder (nominated by Municipal Corporation for two years);

(ii) One member, who shall be the Government employee; and

(iii) Food Inspector of the respective area.

Member Secretary- Officer/Employee authorized by the Municipal.

(B) Meeting Schedule:- Member-Secretary of the Fair Price Shop Level Vigilance Committee shall ensure, that the meeting is convened once in a month and minutes of the monthly meeting is made available to the Block Level Vigilance Committee.

(C) Duties and Responsibilities:- Duties and responsibilities of the Fair Price Shop Level Vigilance Committee shall be as follows,-

(i) to review the activity and responsibilities of Fair Price Shops being run in the Gram Panchayat/Ward;

(ii) to review the storage and distribution of ration commodities in the Fair Price Shop as fixed by Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection;

(iii) to Physically verify food grains at the time of storage at Fair Price Shop;

(iv) to organise Rice Festival as fixed by the District Administration;

(v) to proclaim arrival of food grains monthly at Fair Price Shop;

(vi) to identify the land and to suggest for construction of building, where fair Price Shop building is not available;

(vii) to display fair price shop's name on board, stock board, ration card list, name of members of Vigilance Committee at Fair Price Shop;

(viii) to maintain the prescribed registers at Fair Price Shop;

(ix) to ensure display of samples of food grains being distributed at Fair Price Shop;

(x) to check the quality of food grains received at Fair Price Shop;

(xi) to ensure the monthly submission of Declaration Form and Amount/Demand Draft on time from Fair Price Shop sales person;

(xii) to register maximum number of beneficiaries of the village/ward and members of the committee at Department's website, so as to receive information through SMS regarding storage of food grains at Fair Price Shop allotted for the same;

(xiii) to make available suggestions regarding functioning of Fair Price Shop to the Block Level Vigilance Committee;

(xiv) to ensure compliance of the provisions of Public Distribution System Control Order, the Central Act and the State Act and inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of violation of any provision of the Central Act and the State Act; and

(xv) to inform the District Grievance Redressal Officer, in writing, of any malpractices or misappropriation of funds found by it.

CHAPTER-III
Transparency and Accountability

4. Disclosure of records of PDS.- (1) Public Distribution System related important records such as,-

(i) copy of the Central Act and the State Act;
(ii) information regarding implementation of Public Distribution System;
(iii) issuance of ration card;
(iv) district-wise and agency-wise information of Fair Price Shop;
(v) district-wise, block-wise, gram panchayat/urban local body-wise ration card report;
(vi) monthly report of allocation, storage and distribution of ration commodities; and
(vii) relevant records pertaining to the mid-day meals scheme and schemes implemented through aanganwadis for food and nutrition security,

shall be placed in the public domain. These documents can be inspected and copies can be provided under the provisions of the Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005).

(2) The following actions needs to be taken in order to maintain Transparency and Accountability, namely:-

(a) Janbhagidari Website- Important information of Public Distribution System with reference to the provisions

of the Central Act and the State Act shall be displayed at "Janbhagidari" website. There shall be provision for lodging of complaints and suggestions by the general public in the website and also to register the mobile numbers to obtain information regarding storage of ration commodities in the Fair Price Shop under Public Distribution System. In addition, the following information of the department shall also be displayed on the website, namely:-

(i) District-wise, Block-wise/Municipality-wise and Panchayat-wise Fair Price Shops;
(ii) District-wise, Block-wise/Municipality-wise and Panchayat-wise ration cards;
(iii) District-wise, Fair Price Shop-wise monthly allotment;
(iv) Detailed information of Fair Price Shop-wise ration cards;
(v) Rules and Acts of the Department; and
(vi) Other information of the department as specified by the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, from time to time.

(b) Rice Festival –

(i) In order to ensure transparency in distribution of ration commodities under Public Distribution System, the Central Act and the State Act, Rice Festival shall be conducted every month at Fair Price Shops.

(ii) In such villages where Fair Price Shops are run and Hat Bazars are in operation, Rice Festival shall be conducted on the day of first hat bazaar of every month and in the remaining Fair Price Shops the same shall be conducted on 7th of every month.

(iii) A Nodal Officer for Rice Festival shall be appointed by the District Collector at each Fair Price Shop.

(iv) Monthly quota of ration commodities shall be distributed to beneficiaries in the presence of members of Vigilance Committee and Nodal Officer at Rice Festival.

(c) Social Audit:- In order to ensure transparency in the implementation of Public Distribution System, the Central and the State Act, State Government shall make available all records to the general public. Social Audit shall be done in accordance with the following procedure, namely:-

(i) All records related to allotment, storage and distribution of ration commodities under Public Distribution System at Fair Price Shops shall be placed at Gram Sabah on 15th of August and 26th of January every year for social audit. Records related to mid-day meal scheme and Integrated Child Development Services (ICDS) centers in the panchayat or ward area shall also be submitted for social audit.

(ii) For this purpose, in rural areas, documents of intervening period of the Gram Sabhas in the Gram Sabhas days specified in the sub-clause (i) of clause (C) of Rule 4 shall be produced by the Fair Price Shop Owner and concerned Food Inspector for social audit.

(iii) After audit of documents at Gram Sabah, the report along with recommendation shall be submitted to Block Level Vigilance committee. After examination by Block Level Vigilance Committee, recommendation shall be forwarded to District Level Vigilance Committee for further necessary actions.

(iv) In urban areas, the urban local body shall convene a meeting of the residents of the ward on the fixed date and shall conduct social audit. Meeting at ward level shall compulsorily be conducted at least once in six months for social audit.

(v) Documents of last six months shall be submitted by Fair Price Shop Owner and concerned Food Inspector for social audit in urban areas.

(vi) After audit of documents at ward's meeting in urban areas, the report along with recommendation shall be submitted to Block Level Vigilance Committee. After examination by Block Level Vigilance committee, recommendation shall be forwarded to District Level Vigilance Committee for further necessary action.

(vii) After compiling the social audit report of Fair Price Shops, District Collector shall take appropriate action to address the issues arising from the audit. Action taken on the social audit report shall be forwarded to Directorate and the State Government.

5. **Exemption.-** For smooth functioning of Public Distribution System, the State Government, by keeping consistence with Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 issued by the Central Government, may grant an exemption from all or any of the provisions of this rule and may revoke or suspend such exemption at any time.

6. **Protection of the action taken under this rule.-** No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this rule.

7. **Powers to issue orders for compliance of instructions.-** The State Government or Director may issue necessary orders/instructions, from time to time, to ensure compliance of various provisions of this rule and for the transparency, accountability and implementation of innovations in Public Distribution System.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .